# In The Court of Sub-Judge I Jagdishpur, Bhojpur

## RAKESH KUMAR-V

## T.S–255/2024

## विकाश कुमार पाण्डेय बनाम चन्दन पाण्डेय वगैरह

| Date of Order or Proceeding | Order with the Signature of the Court | Office action taken with |
|---|---|---|
| 30.10.2025 | वादी की ओर से दिनांक–12.08.2025 को शपथ पत्र के साथ समर्थित एक आवेदन आदेश–22 नियम–4 वो दफा–151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल किया गया। उक्त आवेदन में यह तथ्य वर्णित है कि मुदालय सं0–1 चंदन पाण्डेय की आकस्मिक मृत्यु दिनांक–19.03.2025 को हो गई, जिनका नाम विलोपित कर इनके स्थान पर इनके विधिक वारिसान–निशा देवी, आर्यन पाण्डेय, आदित्य पाण्डेय, चांदनी पाण्डेय एवं श्रेया पाण्डेय को प्रतिस्थापित करने हेतु अनुरोध किया गया है।<br>साथ में शपथ पत्र के साथ धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत एक अन्य आवेदन दाखिल किया गया है कि प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने में जानबुझकर विलम्ब नहीं किया गया है अतः विलंब के अवधि को माफ कर उपरोक्त आवेदन स्वीकृत किया जाए।<br>वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि मुदालय सं0–1 चंदन पाण्डेय की मृत्यु दिनांक–19.03.2025 को हो गयी है, जिनका नाम अभिलेख पर दर्ज है। वादी का आवेदन समय सीमा के अंतर्गत नहीं है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन विलंब अवधि को माफ करते हुए दिनांक–12.08.2025 को स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि मुदालय सं0–1 चंदन पाण्डेय का नाम अभिलेख से कलमजद कर उनके विधिक वारिसान–निशा देवी, आर्यन पाण्डेय आदित्य पाण्डेय, चांदनी पाण्डेय एवं श्रेया पाण्डेय का नाम प्रतिस्थापित करें।<br>वास्ते दिनांक–22.01.2026 प्रतिवादी के उपस्थिति हेतु।<br>लेखापित<br><br>अवर न्यायाधीश प्रथम<br>जगदीशपुर, भोजपुर | |